खण्ड-106, अंक-1
सोमवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1874
(28 जुलाई, 1952 ई0)

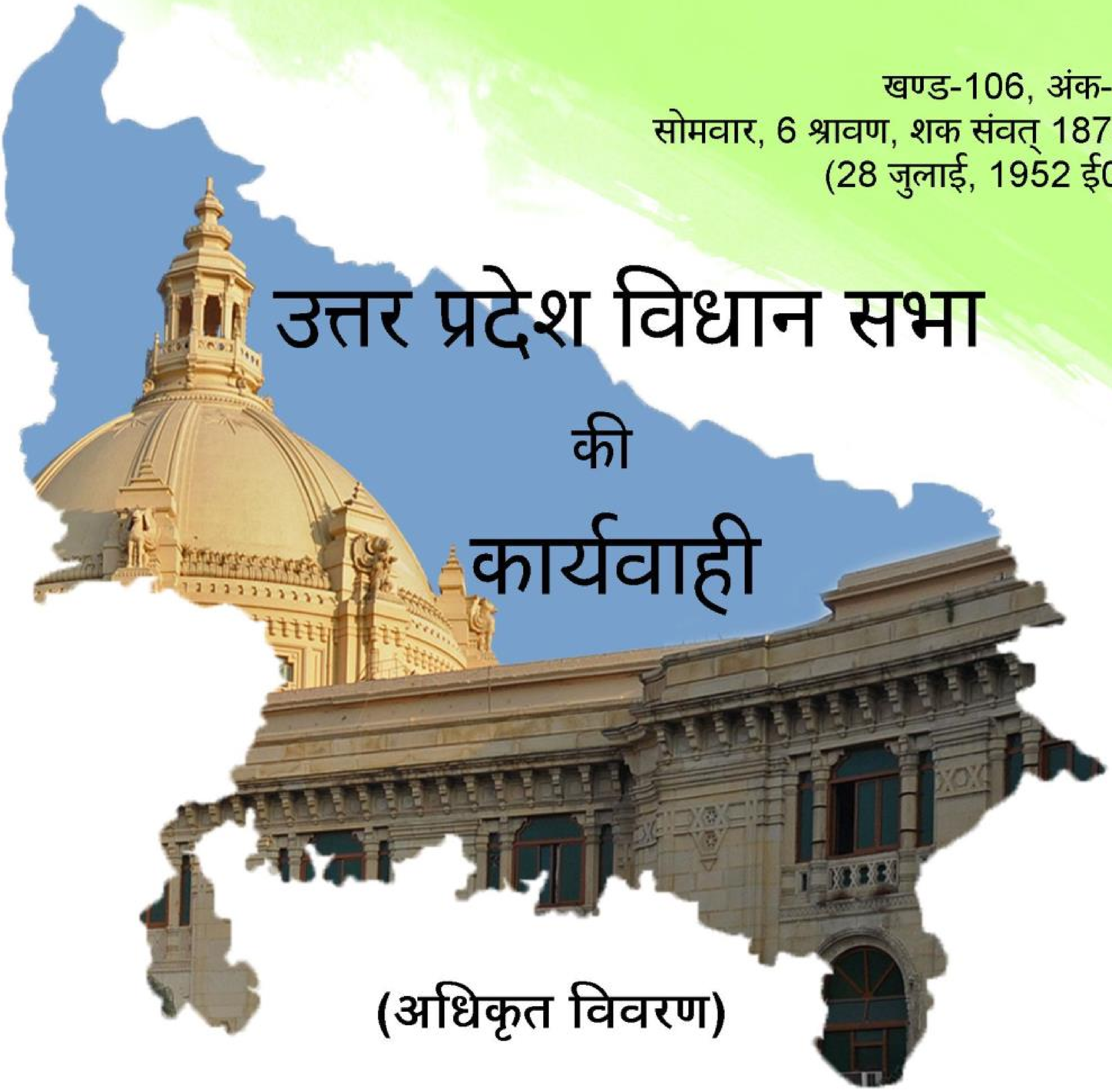

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 106 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

२०४२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता ब्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरबल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री.
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव बशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनरजी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री प्रसाद मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बिश्म्भर सिंह, श्री
बेंचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ाँ, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ाँ, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

राशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रज बिहारी मिश्र श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज वली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्री मती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराममम चौधरी, श्री
सीताराम, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमन अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम श्री
हमीद खां, श्री
हर खयालसिंह, श्री
हरगोबिन्द पन्त, श्री

अविभाजित सभा प्रदेश

हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित) (जिला फ़र्रुखाबाद)—(देखिये आगे पृष्ठ २३ पर)

जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था कानून का नागर क्षेत्रों में लागू होना

*४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था कानून को म्युनिसिपल बोर्डों, टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया क्षेत्रों में कब तक लागू करने का विचार है?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया क्षेत्रों पर लागू नहीं है। इन क्षेत्रों के लिये नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक पिछली असेम्बली में पेश किया गया था जो अभी पारित नहीं हुआ है।

श्री राजाराम शर्मा—जब तक नागर क्षेत्रों में जमींदारी विनाश लागू नहीं है तब तक नगरों की व्यवस्था कैसे की जायगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिस प्रकार वह चल रही है उसी प्रकार की जा रही है।

श्री हरिशचन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि कितने समय के अन्दर जमींदरी उन्मूलन का सिद्धांत नगरों में लागू हो जायगा?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—निश्चित तो नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा, परन्तु माननीय सदस्य इसका इन्तजार करें।

*५—श्री राजाराम शर्मा—क्या इस कानून में सुधार का बिल इसी सत्र में पेश होगा?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में इस संबंध में सुधार करने का प्रश्न नहीं उठता। वैसे इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परन्तु बिल इस सत्र में पेश हो सकेगा या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता।

२१ मई, १९५२ के पहले की तारीखों में जमीनों के पट्टों का जारी किया जाना

*६—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को यह विदित हुआ है कि जमींदार लोग अब भी अपनी जमीनों के पट्टे २१ मई के पहिले की तारीखों में कर रहे हैं और उनकी तसदीक पहिले की तारीखों में हो जाती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, सरकार को ऐसी सूचनायें मिली हैं, परन्तु अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—सरकार ने अभी जवाब में बताया कि इसकी पुष्टि नहीं थी। सरकार इसकी पुष्टि किस तरह करना चाहती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उचित अधिकारियों द्वारा ही सरकार इसकी जांच कर रही है।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या सरकार ऐसी शिकायतों की कोई जांच करा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार ने इस संबंध में उचित आदेश जारी कर दिये हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—ये शिकायतें किनके जरिये से आई हैं ?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—इस सदन के माननीय सदस्यों के जरिये से इस तरह की शिकायतें आई हैं और रायबरेली और दूसरे जिलों से भी आई हैं। सरकार ने ८ जुलाई को यह आदेश जारी कर दिया था कि कानूनगोओं के जो रजिस्टर्स और कागजात हैं उनमें अपने दस्तखत कर दें ताकि अगर ऐसी शिकायतों में कोई तथ्य हो तो वह न रह जाय; रायबरेली से एक शिकायत खासतौर से आई थी और सरकार उस पर बड़ी सख्त कार्यवाही कर रही है।

राजा वीरेन्द्र शाह—जो शिकायतें आई हैं वे लिखित हैं या जबानी आकर कर गये हैं ?

श्री चरण सिंह—जबानी भी और लिखित भी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या अलावा सरकारी आदमियों के सरकार गैर सरकारी आदमियों को भी इसमें शरीक करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसा करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक शिकायतों की जांच होगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जैसे-जैसे शिकायतें आती जायंगी वैसे-वैसे जांच होती जायगी।

*७—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—२१ मई के बाद पिछली तारीखों में पट्टे न तसदीक किये जा सकें, इसके लिये सरकार ने क्या कोई आज्ञा जारी की थी ? यदि हां, तो क्या और इस पर क्या अमल हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार ने इस संबंध में जिलाधीशों को कोई आदेश ३० जून, १९५२ से पहले नहीं दिये, इस अधिनियम को राज्यपाल महोदय ने १५ जून, १९५२ को स्वीकार किया मगर गजट और अखबारों के जरिये से सारे सूबे में इस कानून के पारित होने की खबर पहले ही फैल गई थी।

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में अन्नाभाव-क्षेत्रों को सरकारी सहायता

*१—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि बस्ती जिले में पानी न बरसने से अनाज की जो कमी पैदा हुई उस हालत का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की और किस कदर रुपया अब तक मंजूर कर चुकी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार ने बस्ती जिले के कुछ भागों में अन्न की कमी से जो हालत पैदा हो गई उसका मुकाबला करने के लिये जो कार्रवाइयां की वे यह हैं।

(१) एस्टारिटी प्राविजन योजना द्वारा सस्ते अनाज का प्रबन्ध

इस योजना के अन्तर्गत मई, १९५१ से ३० जून, १९५२ तक ५,१४,९०० मन गल्ला वितरित किया गया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

(२) लगान और मालगुजारी में छूट

खरीफ १३५९ फसली में लगान और मालगुजारी में क्रमशः ९,९४,००० रु० और ३,३३,००० रु० की छूट दी गई। रबी १३५९ फसली में दी जाने वाली छूट सरकार के विचाराधीन है। जिन क्षेत्रों में छूट देने का प्रस्ताव है, वसूली स्थगित करदी गई है।

(३) तकावी का वितरण

तकावी के लिये स्वीकृत धन इस प्रकार है :—

रबी सन् १३५९ फ०	खरीफ १३६० फ०
९,७५,००० रु०	९,७५,००० रु०

पिछली तकावी की ४४,९४९ रु० की खरीफ १३५९ में पड़ने वाली किस्तों तथा ८,८१,८६८ रु० की, रबी १३५९ में पड़ने वाली किस्तों की वसूली रोक दी गई। बीज गोदाम तथा सहकारिता विभाग का ३,८३,००० रु० का पावना १३५९ फ० में वसूल नहीं किया गया प्रत्युत अगली फसल तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

(४) अहेतुक सहायता (Gratuitous relief) द्वारा निराश्रित बच्चों, वृद्धों आदि की सहायता।

अब तक इस कार्य के लिये ५५,००० रु० स्वीकृत किया जा चुका है।

(५) बड़े पैमाने पर टेस्ट रिलीफ वर्क्स खोलकर भूमिहीन श्रमिकों तथा अन्य निर्धन व्यक्तियों को काम देना।

टेस्ट वर्क्स के लिये अब तक कुल ६,४५,००० रुपया स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर काम करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्तमान वित्तीय वर्ष आय व्ययक में बस्ती जिले के लिये ६,५६,००० रुपया की की व्यवस्था है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बान गंगा नहर योजना को जिसका कुल अनुमानित व्यय २४ लाख रुपया है इस वर्ष से कार्यान्वित करने के लिये ४ लाख रुपया स्वीकृत किया है।

किसानों को ४२,५०९ मन धान का बीज भी दिया गया है।

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि रबी की छूट के सिलसिले में जो लगान मुल्तवी किया गया था वह आर्डर कोर्ट आफ वार्डस पर भी लागू होता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, उस पर भी लागू है।

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या सरकार को यह मालूम है कि कोट आफ वार्ड की तरफ से रबी का लगान बिना छूट दिये हुये दफा ४०, ४१ कोर्ट आफ वार्डस ऐक्ट के मातहत बजरिये वारंट गिरफ्तारी बस्ती ज़िले में वसूल हो रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी है। इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह रुपया या गल्ला जो बस्ती में इमदाद के लिये दिया गया था उसकी तकसीम के लिये क्या सूरत अख्तियार की गयी है यानी किसके जरिये वह तकसीम होता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसा गल्ला जो ए० पी० स्कीम के मातहत तकसीम के लिये दिया गया है, गांव सभाओं ने सूची तैयार की है उसी के अनुसार उसका वितरण होता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जो ग्रेच्युटी के तौर पर रुपया इमदाद के लिये दिया गया है उसके लिये कोई अलग शक्ल है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ग्रेच्युटी के तौर पर जो रुपया स्वीकार हुआ है उसकी फेहरिस्त ऐसे आदमियों के जरिये, जिलाधीश के द्वारा तैयार होती है जो उसके योग्य होते हैं।

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या माननीय माल मंत्री जी को कोई तार इस किस्म का पहुंचा है कि कलेक्टर का सर्टिफिकेट हासिल करके बजरिये वारंट लगान वसूल किया जा रहा है।

श्री चरण सिंह—बेशक, एक शिकायत इस किस्म की आयी है कि कोर्ट आफ वार्डस के कर्मचारी अब भी लगान वसूल कर रहे हैं। उस शिकायत में कहां तक सच्चाई है यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कोर्ट आफ वार्डस के कर्मचारियों को हिदायत दी गयी है कि जो छूट दूसरी जगहों के लिये दी गयी है वह उनके गांव में भी दी गयी है। जो कानून और जगहों के लिये लागू है वह उनके लिये भी लागू है। इसलिये लगान की वसूली स्थगित कर दें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जिन किसानों से छूट दी हुई रकम वसूल कर ली गयी है उनको फिर वह वापस की जायगी ?

श्री चरण सिंह—जैसा कानून इजाजत देगा वैसा किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो वृद्धों और बालकों को ग्रेच्युटी रिलीफ दी गयी है वह सब बंट गयी है या कुछ बाकी है ?

श्री चरण सिंह—गालिबन सब बटी नहीं है और अगर बट गयी है और डिस्ट्रिक्ट मैस्जिट्रेट जरूरत महसूस करेंगे और गवर्नमेंट को लिखेंगे तो और रुपया दे दिया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार यह जानती है कि कोआपरेटिव बैंक का कर्जा उन गांवों में जहां बड़ी क्षति पहुंची है बराबर सूद और जुर्माने के साथ वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—जहां तक कोआपरेटिव बैंक्स के कर्जे का संबंध है वह गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं था कि उसकी वसूलयाबी को स्थगित कर दे। वाकयी वसूली की जा रही है या नहीं की जा रही है इसका इल्म भी हमको नहीं है।

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि बैल की तकावी का जो रुपया हर साल जिलों में मई के आखिर में या जून के शुरू में दिया जाता था वह इस साल बस्ती जिले में बैल की तकाबी का कोई रुपया नहीं गया, बावजूद इसके कि ज़िले के कर्मचारियों की तरफ से इसकी बड़ी मांग है ?

श्री चरण सिंह---तकावी जिन अगराज के लिये दी जाती है सभी अगराज के लिये दी गयी है। खासतौर से बैल की खरीद के लिये अलहदा रुपया नहीं दिया जाता है। अप्रैल, मई, जून, इन तीन महीनों में, जैसा कि बतलाया जा चुका है, आठ लाख रुपया तकावी के लिए दिया गया है।

*२---श्री मुहम्मद अदील अब्बासी---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जिला बस्ती में रबी १३५९ फसली की पैदावार का अन्दाजा करने के लिये ताकि मुनासिब छूट किसानों को दी जा सके सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माल के समस्त कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे समय-समय पर अपने क्षेत्र की फसलों का निरीक्षण करते रहें और यह अन्दाजा लगाते रहें कि फसलों की क्या हालत है। जैसे ही किसी हानि की सूचना मिलती है कानूनगो और नायब तहसीलदार गांव-गाँव का निरीक्षण करते हैं और तथा हाकिम परगना उनकी रिपोर्टों की जांच मौके पर करते हैं और उसके बाद हानि का अन्दाजा किया जाता है। यही तरीका बस्ती में अख्तियार किया गया।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं एक प्रश्न १ पर एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज (विधान का प्रश्न उपस्थित) करना चाहता हूं।

अध्यक्ष---अब मैं काफी आगे बढ़ गया हूं। अब मैं मौका नहीं दे सकता।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि बस्ती जिले में कुछ ऐसे भी इलाके हैं, खासतौर से बांसी इलाके के हल्के में जहां कि फसल खराब रही है और पटवारियों और कानूनगो ने उसकी ठीक रिपोर्ट नही दी और उन्हें छूट नही दी गई है?

श्री चरण सिंह---बस्ती जिले में सूबे भर में सबसे ज्यादा छूट दी गयी है। बस्ती जिले में कुल मालगुजारी २४ लाख २४ हजार है जिसमें से रबी की मालगुजारी १२ लाख के करीब होगी जिसमें करीब ३ लाख ९४ हजार की छूट दी गयी है। किन-किन गांवों में कितनी-कितनी छूट दी गयी है इसकी सूचना नहीं है लेकिन २,९०० गांवों में छूट दी गयी है। और मेरा ख्याल यह है कि जो गांव छूट के लायक थे उन सब को छूट दी गयी है। आमतौर से ८ आना नुक्सान पर छूट दी जाती है लेकिन बस्ती में ६ आने नुकसान पर भी छूट दी गयी है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या सरकार क पास कोई ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कानूनगो साहबान तहसील हेडक्वार्टर्स में बैठे ही बैठे जांच कर लिया करते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी।

देवरिया ज़िले में तमकुही कोर्ट आफ़ वार्ड्स द्वारा वृक्षों का बेचा जाना

*३---श्री गंदा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया ज़िले के तमकुही कोर्ट आफ़ वार्डस् ने अपने इलाके में अपने कार्यकाल के भीतर कितने पेड़ बेचे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तमकुही कोर्ट आफ वार्ड्स ने अपने इलाके में अपने कार्य काल-के भीतर ४८८ पेड़ बेंचे हैं?

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह के पेड़ों को बेंचने के लिये इजाजत सरकार ने कोर्ट आफ वार्ड्स को दी थी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कोर्ट आफ वार्ड्स को रुपये के लिये जमींन की जरूरत थी। सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं थी।

*४—श्री गेंदा सिंह—यह पेड़ किस प्रकार के थे, कितनी उमर के और कितने क़द के और किस कीमत पर बेंचे गये?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इन पेड़ों की उम्र लगभग २० से ४० वर्ष की थी और इनकी लम्बाई २० फुट से ५० फुट तक की थी। इन पेड़ों की कुल कीमत ४,८६३ रुपये ८ आने आयी। ये पेड़ निम्नलिखित प्रकार के थे—

शीशम २७२, आम ३२, महुवा ३३, कटहल २१, बनबेल १, सेमल १२, इमली १३, नीम २३, करमा १३, जामुन २३, बेल २१, सागौन १, बरगद ३, पीपल ९, पाकड़ २, बबूल १, बहुआर १, ताड़ १, आवला १, दनियाड १, टीकुर ४।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि इन दरख्तों में से ज्यादा दरख्त फलदार थे?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दरख्तों की सूची मौजूद है, उसमें से माननीय सदस्य देख सकते हैं कि कौन से फलदार थे और कौन से बिला फल के थे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन पेड़ों के बिकने या काटने से वहां की जनता में असन्तोष है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

*५—श्री गेंदा सिंह—क्या इन पेड़ों के बेचने के लिये जंगल बिभाग से कोई आदेश लिया गया था।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ये पेड़ तमकुही राज के अन्दर पड़ती और बंजर के थे और इनके काटने के लिये जंगल विभाग से कोई इजाजत लेना जरूरी नहीं था। फिर भी एहतियातन खरीदारों को नीलाम के पहले कोर्ट आफ वार्ड्स के आदेशानुसार यह साफ तौर पर बतला दिया गया था कि पेड़ काटने से पहले जंगल विभाग की मंजूरी लेने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची के पेड़ काटे गये हैं उनके काटने के लिये जो कोर्ट आफ वार्ड्स के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई काम किया जायगा?

श्री चरण सिंह—कोर्ट आफ वार्ड्स को इन स्कैटर्ड ट्रीज (दरख्तों) को बेंचने का अख्तियार था और अधिकारियों से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी फारेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की इजाजत की जरूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा महसूस करती है कि कीमत कम आई है। १० रुपया फी दरख्त आया है। तो इस सिलसिले में तहकीकात की जायगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि कीमतों का ताइयुन पूरे पेड़ों को इकट्ठा करके किया गया है या अलग-अलग उसकी हैसियत के एतबार से किया गया है ?

श्री चरण सिंह—जैसे बेंचे गये, वैसे किया गया। अगर १० किसी आदमी को बेंचे गये तो १० को एक जगह करके किया गया और एक बेचा तो एक का किया गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा कुछ किस्म के पेड़ों के काटने की मनाही कर दी थी ?

श्री चरण सिंह—ये पेड़ उस सूची के अन्दर नहीं आते।

*६-८—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[११ अगस्त, १९५२ क लिये स्थगित किये गये।]

रामपुर ज़िले में भूमि का लगान

*९—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या राजस्व मंत्री ब्योरे सहित बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले की प्रत्येक तहसील में भिन्न-भिन्न प्रकार के लगान के सर्किल रेट पृथक-पृथक क्या हैं तथा प्रत्येक तहसील के निकटवर्ती अन्य जिलों के पड़ोसी क्षेत्रों में क्या-क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सूचना सम्बद्ध सूचियों में दी हुई है।
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७ पर)

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार रामपुर जिले के क्षेत्रों में जो कहीं पर ३५.८ और उसके मुकाबले में लगे हुए दूसरे क्षेत्रों में ९.८ के लगान को समान लाने का विचार करती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय सदस्य को सर्किल रेट और लगान के दर की सूचना दे दी गयी है। जो प्रश्न माननीय सदस्य का है उसके जरिये इस प्रकार की सूचना नहीं मांगी गयी है, इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में "समान समझती है" ऐसा कोई उत्तर देने में असमर्थ है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में लगान की दर उससे लगे हुए दूसरे जिलों के लगान की दर के बारबर करने का विचार सरकार का है या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो लगान की दर रामपुर में है और जो दूसरे जिलों का हवाला दिया गया है उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। दूसरे जिलों में जो जमीनें उठायी गयी हैं वे जिस दर पर हैं और रामपुर जिले में जो उठायी गयी हैं वे जिस दर पर हैं, इसमें अगर माननीय सदस्य थोड़ा विचार करेंगे तो उनकी समझ में यह बात आ जायगी कि रामपुर में दखीलकारी आराजी अभी तक बराबर होती चली जा रही है और पड़ोस के जिलों में वैसी बात नहीं है। इसलिये रामपुर जिले में कहीं-कहीं लगान की दर ज्यादा है, लेकिन रामपुर जिले में जो लगान की दर कायम है वह मौजूदा जो गल्ले का भाव है उस हिसाब से अगर देखा जाय तो वह कोई अधिक नहीं है। दूसरे पड़ोस के जिलों में पहले के गल्ले के भाव से लगान निर्धारित हैं। इसलिये ऐसा प्रश्न और ऐसी शंका माननीय सदस्य के हृदय में उत्पन्न हो रही है।

रामपुर जिले में तक़ावी का वितरण

*१०—श्री श्रीकृष्ण शरण आर्य—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९४९ ई० से ३० जून, १९५२ ई० तक कितनी धनराशि रामपुर जिले में कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के निमित्त तकावी के रूप में बांटी गई है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१ दिसम्बर, १९४९ ई० से ३० जून, १९५२ ई० तक रामपुर जिले में ३,०३,७९६ रुपया तकावी के रूप में बांटा गया है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार कृपा करके उन तीन व्यक्तियों के नाम बता सकेगी जिनको इस रक़म में से अधिक से अधिक रुपये मिले हों?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नोटिस चाहिये।

रामपुर जिले में कृषि योग्य भूमि

*११—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में कितनी कृषि योग्य भूमि इस समय रिक्त है, उसके प्रयोग में लाने के विषय में क्या योजना सरकार के विचाराधीन है तथा कब तक वह कार्यान्वित हो सकेगी।

कृषि उप मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत रामपुर जिले के मनुनगर इलाक़े में अभी तक १,६५० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना दिया गया है। आशा है इसी वर्ष एक हजार एकड़ भूमि और तैयार हो जायगी। इसके अतिरिक्त रामपुर जिले में ८,००० एकड़ भूमि और खाली पड़ी है। उसको भी काम में लाने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सही है कि रामपुर जिले में मनूनगर नाम की कोई तहसील नहीं है?

श्री जगन प्रसाद रावत—मनुनगर इलाका है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो था उसका उत्तर पूर्ण नहीं है, क्या इस पर विचार किया जा सकेगा।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को उत्तर मिल गया। अब वह पूरा है या आधा है, इस पर वे खुद विचार कर लें।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि मनूनगर जो तहसील दी गयी है उसको काट कर के इलाका कर दिया जाय?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जिला रामपुर में कोई सरकारी ऐग्रीकल्चरल फार्म भी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार वह योजना बताने की कृपा करेगी जो कि खाली जमीन को काम में लाने के लिये सरकार के विचाराधीन है?

श्री जगन प्रसाद रावत——सरकार के पास हमारे सारे सूबे के लिये एक योजना है। जहां-जहां बड़े पैमाने पर खाली जमीनें इस तरह से पड़ी हुई हैं उन सबको काम में लाने के लिये सरकार सोच रही है और इस योजना को जिस-जिस जिले में जैसे-जैसे आवश्यकता होगी और हमारे पास साधन होंगे अमल में लायेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि रामपुर जिले में उपर्युक्त जमीन को भूमिहीन किसानों को देने की भी कोई योजना है?

श्री जगन प्रसाद रावत——जहां-जहां भी हमारे पास जमीन है, भूमिहीन किसानों को देने के लिये सब जमीनों के सम्बन्ध में एक योजना है और एक अनुपात रखा गया है। अतः जो और जगह के लिये रखा गया है वही यहां भी लागू होगा।

श्री गेंदा सिंह——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर में भूमिहीन किसान हैं या नहीं?

श्री जगन प्रसाद रावत——भूमिहीन किसान तो सभी जगह हैं, रामपुर में भी जरूर होंगे।

श्री गेंदा सिंह——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कभी इन भूमिहीनों ने जमीन की ख्वाहिश की या नहीं?

श्री जगन प्रसाद रावत——भूमिहीन खेतिहर हमेशा जमीन की ख्वाहिश करता है और जब कभी हमको मौक़ा होगा तो उनको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे।

श्री रामदास (जिला मुजफ्फरनगर)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस भूमि को देने में उन भूमिहीन मजदूरों को, जो खेती में अनुभव रखते हैं प्राथमिकता दी जायगी?

श्री जगन प्रसाद रावत——यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम जहां तक सम्भव होता है प्राथमिकता ऐसे ही भूमिहीन खेतिहरों को ही जमीन देने के लिये देते हैं।

श्री कृष्ण शरण आर्य——क्या जिलाधीश, रामपुर की ओर से कोई योजना तहसील बिलासपुर और स्वार की खाली जमीनों के बारे में आयी है?

श्री जगन प्रसाद रावत——जी हां, आयी है और वह विचाराधीन है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—— क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कपास सम्बन्धी अनुसंधान किन किन फार्मों पर किये गये हैं और उनका क्या परिणाम रहा है?

श्री जगन प्रसाद रावत——पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह——क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो रुपया कपास योजना पर खर्च किया गया वह सहायता के रूप में दिया गया या किस तरह से खर्च हुआ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कहीं कहीं पर तो जहां फार्म हैं उनमें जो अनुसंधान होते हैं उन पर ख़र्च किया गया और कहीं-कहीं पर किसानों को बीज देकर उसका क्या परिणाम होता है इन चीजों पर खर्च किया गया।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन के लिये किसानों को सरकार ने क्या क्या सुविधायें दी हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह प्रश्न तो बहुत व्यापक है। इस सम्बन्ध में बजट में सारी बातें बता दी गयी हैं।

*१२-१३—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या ९—१० के अन्तर्गत स्थान्तरित किये गये।]

गंगातीरी फ़ार्म से सम्बन्धित किसानों को क्षतिपूर्ति

*१४—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार इधर चार वर्ष से गंगातीरी फार्म से सम्बन्धित किसानों का जो नुक़सान हुआ है उसका मुआवजा देगी?

*१५—क्या सरकार को मालूम है कि अदलपुरा बाजार में सरकारी फार्म मैनेजर (गंगातीरी फार्म आराजी लैन, सुल्तानपुर) ने जिस व्यक्ति को बाजार का ठेका दिया था वही ठेकेदार अब तक बाजार की झरी उगाहता है?

श्री जगन प्रसाद रावत—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१६-१७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[११ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

कपास के अनुसन्धानों पर सरकार का व्यय

*१८—श्री शिव कुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह कपास के अनुसंधानों पर प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय करती है?

श्री जगन प्रसाद रावत—कपास के अनुसंधानों पर कृषि विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में व्यय हुए धन का विवरण निम्नलिखित है :—

	रु०
१९४९-५०	३०,८००
१९५०-५१	२१,६००
१९५१-५२	२९,४००

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भद्रुक डेरी के दूध का प्रबन्ध

*१९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भद्रुक डेरी से दूध क्यों नहीं मिलता?

श्री जगन प्रसाद रावत—जिन छात्रावासियों ने दूध लेने की इच्छा प्रकट की उन्हें गर्मी की छुट्टी के पहले वार्डन या उनके नियुक्त किये हुये प्रतिनिधि द्वारा दूध दिया जा रहा था। अभी तक इस सेशन में दूध की मांग भद्रुक डेरी के अधिकारियों के पास नहीं आई है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन होस्टल्स और किन किन विद्यार्थियों को दूध दिया जाता रहा है ?

अध्यक्ष—यह आप पुराना प्रश्न पूछ रहे हैं या अभी का ?

श्री नेकराम शर्मा—अभी का।

अध्यक्ष—यह तो बहुत लम्बा प्रश्न है। आप विद्यार्थियों के नाम भी पूछना चाहते हैं कि जिनको दूध दिया जा रहा है जो मैं समझता हूं किसी मंत्री के लिये शायद यह संभव नहीं है कि वह विद्यार्थियों के नाम बतला सके।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितना दूध होस्टल्स में सप्लाई किया जा रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नये होस्टल से दूध की मांग की गई थी और वह अस्वीकृत कर दी गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अगर अस्वीकृत कर दी गयी तो कोई उचित कारण होगा और आयन्दा भी अगर कोई ठीक वजह होगी तो अस्वीकृत की जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि होस्टल और होस्पीटल की मांग पर वह प्रोयोरिटी (प्राथमिकता) देने का विचार करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अस्पताल में देने की मांग पर सरकार प्राथमिकता देगी और इसके बाद जैसे नागरिकों को दूध दिया जाता है वैसा ही व्यवहार करेगी।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को यह पता है कि अधिकतर दूध काफी हाउसेज और बड़े अधिकारियों को दिया जाता है।

श्री जगन प्रसाद रावत—यह बात तो सही नहीं है कि अधिकतर दूध काफी हाउसेज और बड़े अधिकारियों को दिया जाता है लेकिन काफी हाउसेज में जो दूध दिया जाता है उसका अधिकांश विद्यार्थी ही पीते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपा करके बतलायगी कि स्टूडेंट्स को दूध देने में कोई कंसेशन दिया जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—क्या सरकार स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसा कोई सरकार का विचार नहीं है।

*२०–२१—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या १३—१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२-२३--श्री सियाराम गंगवार (जिला फ़र्रुखाबाद)--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बनारस तहसील के अन्तर्गत भूमिधरी के धन का ग़बन

*२४--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि बनारस तहसील के अन्तर्गत भूमिधरी का रुपया ग़बन हो गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और अभी तक २०,६५० रुपये के ग़बन का पता लगा है।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि गबन तहसीलदार और मुन्सरिम की वजह से हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जहां तक सरकार को पता है मुंसरिम को सस्पेंड कर दिया गया है और तहसीलदार का तबादला कर दिया गया है। अभी जब तक इसकी जांच हो रही है सरकार तब तक निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि तहसील-दार का इसमें हाथ है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसकी इंक्वायरी का आदेश सरकार ने कब दिया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह आदेश मार्च में दिया था।

*२५--श्री बेचनराम गुप्त--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६--२७--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या १७--१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बस्ती जिले में किसानों को छूट के पर्चों का दिया जाना

*२८--श्री राजाराम शर्मा--क्या राजस्व मंत्री को यह मालूम है कि बस्ती जिला में गत फ़सली का छूट का पर्चा किसानों को अब तक नहीं मिला ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रबी १३५९ फ़सली के छूट के पर्चे तैयार हैं और शीघ्र ही वितरित कर दिये जायेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय माल मंत्री यह बत-लाने की कृपा करेंगे कि १३५९ फसली का लगान कुछ काश्तकारों के जिम्मे बाकी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--काश्तकारों के जिम्मे सन् १३५९ फसली का लगान सस्पैंड कर दिया गया था और रबी के रेमिशंस को सरकार ने मंजूर कर लिया है।

*२९--श्री राजाराम शर्मा--क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि छूट का पर्चा न मिलने के कारण बिना छूट दिये ही जो पूरा लगान मध्यवर्ती लोगों ने वसूल कर लिया है या कर रहे हैं उसको वापस दिलाने का कोई उपाय सरकार सोच रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मध्यवर्ती छूट के लगान की वसूली कर रहे हैं। भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा १२३ (२) के अधीन लगान की वसूली स्थगित कर दी है। अतएव जब तक यह आदेश लागू है कोई मध्यवर्ती लगान की वसूली नहीं कर सकता, यदि वह ऐसा करेगा, तो जिलाधीश रेवेन्यू मैनुअल के नियम १९० के अनुसार मध्यवर्ती की मालगुजारी की छूट रद्द कर देगा।

*३०-३२---श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)---[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या १९---२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चकिया में चावल की उपज

*३३---श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि चकिया में कितने एकड़ जमीन में चावल की खेती होती है और औसत पैदावार प्रति एकड़ क्या है?

श्री जगन प्रसाद रावत---चकिया में चावल की खेती का पिछले दो वर्षों का औसत क्षेत्रफल ५९,६३२ एकड़ है। बनारस जिले की औसत पैदावार ६.१७ मन प्रति एकड़ के लगभग है। इस तहसील की भी इसी के लगभग होगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जितना चावल वहां पैदा हुआ उसके हिसाब से सरकारी गोदामों में कितना आया?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

*३४-३६---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित) (जिला बाराबंकी)---

[देखिये पृष्ठ २३ पर]।

*३७-३९---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---[२५ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के भावरी काश्तकारों को हक़ हकूक की लकड़ी

*४०---श्री खुशीराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल, तहसील हलद्वानी के भावरी काश्तकारों को पिछले पांच वर्षों में हक़ हकूक की प्रतिवर्ष कितनी लकड़ी मिली है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९ पर)

*४१---श्री खुशीराम---क्या कुछ काश्तकारों ने जिनको हक़ हकूक की लकड़ी नहीं मिली है कई प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० तराई भावर की अदालत में दिये? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, श्री इन्दरलाल, गोपी राम और हरी सिंह ने पनयाली गांव के प्रधान के विरुद्ध प्रार्थना पत्र एस० डी० एम० तराई भावर को दिये थे कि उनको कई वर्षों से उनके हिस्से की लकड़ी नहीं मिली। जांच करने पर मालूम हुआ कि यह शिकायतें ठीक थीं। एस० डी० एम० की रिपोर्ट पर

जिलाधीश नैनीताल ने यह आदेश दिया कि २० फुट लकड़ी दिसम्बर, १९५१ में और ४० फुट जून, १९५२ में दे दी जाये। जांच के पश्चात् यह भी मालूम हुआ कि प्रधान इसमें दोषी था और सुपरिंटेंडेंट तराई भावर को यह आज्ञा दे दी गई है कि वह प्रधान को उसके पद से हटाने के लिये कारवाई करें क्योंकि उसने लकड़ी को जो कि और लोगों को मिलनी चाहिये थी नहीं दी।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश जिलाधीश ने किस तारीख को निकाला था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नोटिस की जरूरत है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जो आर्डर तराई भार के अधिकारियों ने दिया था मुजरिम अफसरों के खिलाफ उसकी पाबन्दी हुई या नहीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सुपरिंटेंडेंट को आदेश दे दिया गया है कि प्रधान को हटा दिया जाय और अभी कारवाई हो रही है।

*४२—**श्री खुशीराम**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस हक़ की लकड़ी का बटवारा काश्तकारों को किस अधिकारी द्वारा होता है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रधान द्वारा।

*४३-४५—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[४ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ितों को नौतोड़ भूमि का दिया जाना

*४६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले के किन किन व्यक्तियों को नौ-तोड़ जमीन कहां कहां और कितनी कितनी दी गई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आजमगढ़ जिले के २५ व्यक्तियों को नैनीताल के तराई क्षेत्र में जमीन दी गई है उनके नाम तथा अन्य सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या इस सूची के अन्दर बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो जेलखाने तक नहीं गये हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह मालूम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—किस राजनीतिक प्रमाण के आधार पर इनको जमीन दी गई यानी जिसको जमीन दी गई क्या वह राजनीतिक पीड़ित थे?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसकी जांच कर ली गई थी कि वह राजनीतिक पीड़ित हैं। जाँच करने के पश्चात् ही उनको राजनीतिक पीड़ित करार देकर जमीन दी गई।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के विभाग से सैकड़ों व्यक्तियों के ऊपर नोटिस जारी हुये कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं हैं और जमीनें उन्होंने ले ली हैं ?

श्री चरण सिंह--सरकार को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग राजनैतिक पीड़ितों की परिभाषा में नहीं आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो परिभाषा में आते हैं लेकिन वह मौक़े पर खेती नहीं करते हैं, इसकी तहकीकात कराई जा रही है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों में से भी जिनके पास ३ एकड़ जमीन है उनको भी जमीन दी जायगी ?

श्री चरण सिंह--सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जिनके पास जमीन ज्यादा है उनको आगे जमीन दी जाय या न दी जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार बतलावेगी कि जो लोग इन जमीनों में खुद खेती नहीं कर रहे हैं वह किसके द्वारा खेती करा रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उनकी तरफ से उनके आदमी प्रबन्ध कर रहे हैं।

*४७--श्री रामसुन्दर पांडेय--जिन्हें जमीन दी गयी है उनमें से कौन कौन लोग विधान सभाओं के सदस्य हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिन्हें जमीन दी गई है उनमें केवल दो व्यक्ति श्री व्रजबिहारी राय शर्मा और श्री शिवराम राय आज विधान सभा के सदस्य हैं।

*४८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को यह मालूम है कि वे जमीनें परती पड़ी हुई है और खेती करने वाले सज्जन सदा आजमगढ़ में ही रहते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं, जिन्हें जमीनें दी गई हैं या तो वे स्वयं खेती कर रहे हैं या अपने आदमियों द्वारा खेती करा रहे हैं।

खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये प्रयत्न

*४९--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिन क्षेत्रों में कृषि संबंधी ट्रैक्टरों आदि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है उन क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--नहीं ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है।

*५०--श्री महीलाल--यदि हां, तो भविष्य में सरकार खेतिहर मजदूरों व उनकी भावी सन्तान की स्थिति को सुधारने के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--प्रश्न नहीं उठता।

श्री महीलाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या सरकार ने इस जांच के लिये अपनी किसी प्रकार के कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं जो घूम कर जानकारी हासिल करते हैं ?

श्री चरण सिंह--ऐसे कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं।

श्री महीलाल---क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब इस तरह के कर्मचारी नियुक्त नहीं हुये तो सरकार ने खेतिहर मजदूरों की दशा खराब नहीं है, यह सूचना किस आधार पर दी है ?

श्री चरण सिंह---सूचना देने या मालूमात करने के लिये यह जरूरी नहीं है कि उसके लिये विशेष अधिकारी रखे ही जायं। अपनी आंखें होती हैं, अपने कान भी होते हैं और अपना कुछ तजुरबा भी होता है।

*५१---श्री महीलाल---क्या सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत बंजर भूमि एलाट करते समय खेतिहर मजदूरों का विशेष ध्यान रखा है ? यदि हां, तो अब तक कितने एकड़ बंजर भूमि खेतिहर मजदूरों को एलाट की गयी है या भविष्य में की जाने के लिये संबंधित जिलाधीशों को आज्ञायें दे दी गयी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत बंजर भूमि, यू० पी० लैन्ड यूटीलाईजेशन ऐक्ट, १९४७ (सन् १९४८ का ५वां ऐक्ट) में व्यवस्था के अनुसार, खेती के लिये पट्टे पर उठाई जाती है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में भूमिहीन किसान को पट्टे पर भूमि उठाने में, प्राथमिकता (Preference) देने की व्यवस्था है। तराई आदि के उपनिवेशन क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि को एलाट करने में भी इस बात का विशेष ध्यान रखने की आज्ञा दिसम्बर, सन् १९५० में दे दी गई थी कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये पचहत्तर प्रतिशत (७५%) ऐसी भूमि सुरक्षित रक्खी जाये। इसके अतिरिक्त जमींदारी उन्मूलन तथा लैन्ड रिफार्मस ऐक्ट के अन्तर्गत अब खेती योग्य बंजर भूमि का एलाटमेंट ग्राम सभायें करेंगी और आशा की जाती है कि वे भी अवश्य इस बात का विशेष ध्यान रक्खेंगी। जहां तक कि प्रश्न के अंतिम अंश का संबंध है, ऐसी कोई सूचना या आंकड़े नहीं रक्खे जाते हैं और न जिलाधीशों को ही इस आशय पर कोई आदेश जारी हुये हैं।

श्री महीलाल---क्या यह सत्य है कि कहीं भी खेतिहर मजदूरों को भूमि नहीं मिली है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, यह सत्य नहीं है। अभी कुछ दिन हुये ग़ालिबन बस्ती जिले की बाबत सवाल पूछा गया था और उसमें जितनी जमीन दी गई थी उसमें ६० फ़ीसदी जमीन इन व्यक्तियों को ही दी गई।

अलीगढ़ की कचहरियों के बरामदों में मुवक्किलों के न बैठने के लिए जिलाधीश के आदेश

*५२---श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सत्य है कि अलीगढ़ के जिलाधीश ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि मुवक्किल अदालतों के बरामदे में धूप और वर्षा के बचाव के लिये भी नहीं बैठ सकते ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को ज्ञात है कि मई के मास में जिलाधीश और मैजिस्ट्रेटों ने जबरदस्ती मुवक्किलों को बरामदों से हटवाया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह सरकार को नहीं मालूम है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि जिलाधीश ने स्वयं कुछ लोगों को कोर्ट में बरामदों से पकड़ कर मंगवाया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिलाधीश ने जब कचहरी में सरप्राइज विजिट किया था तो जो वकील और उनके क्लार्क्स बरामदों में बैठे थे उन्हें हट जाने का आदेश जारी किया था। मुवक्किलों के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये और न उन्हें निकाला।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार इसकी जांच करावेगी कि जिलाधीश ने मुवक्किलों को जबरदस्ती बरामदों से निकलवाया ?

श्री चरण सिंह--अगर आप कोई ऐसी निश्चित बात देंगे तो जरूर जांच की जायगी।

*५३-५४--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सरकारी ट्रैक्टर विभाग, लखनऊ में चोरी

*५५--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार को पता है कि सरकारी ट्रैक्टर विभाग, लखनऊ में सरकारी माल की कई बार चोरी हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, सन् १९५१-५२ में छोटी-छोटी चोरियों की छः घटनायें हुई हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इन ६ चोरियों में क्या क्या सामान चोरी गया और हर चोरी में कौन कौन अपराधी थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--एक बड़ी फेहरिस्त है, क्या मैं इसे पढ़ दूं ?

अध्यक्ष--तमाम सदन को इससे दिलचस्पी नहीं हो सकती, इसलिये माननीय सदस्य इसे सरकार से ले लें और बाद में सवाल कर सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या बाद में समय मिलेगा ?

अध्यक्ष--हां, यदि लिस्ट देने के बाद आप सवाल पूछना चाहेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--इन सब चोरियों में माली नुक़सान कितना हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत--एक चोरी में ७४७ रुपये, दूसरी में २५० रुपये तीसरी में ७०, चौथी में ८५, और एक में ५७ रुपये ४ आने।

*५६--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार ने इन मामलों की कोई जांच की ? यदि हां, तो उस जांच का क्या फल निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार चोरी की घटनाओं की सूचना पुलिस को दी गई। दो चोरियों के मामलों को अपराधी व्यक्तियों से हानि पूरी करा कर समाप्त कर दिया है। दो चोरियों की जांच अभी हो रही है। शेष दो चोरियां सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या किसी चोरी की जांच के लिये श्री एल० एन० अग्रवाल, चीफ़ एकाउण्ट्स आफिसर, श्री पी० एस० विश्वनाथ, चीफ़ एग्रीकल्चरल इंजीनियर, और श्री एस० सी० भटनागर, इंजीनियर आफ़ ट्रैक्टर वर्कशाप, की कमेटी बनी थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसके लिये नोटिस चाहिये।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जमींदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली का लागू होना

*१—श्री कालीचरण टण्डन (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ३० जून, सन् १९५२ ई० के असाधारण गजट में प्रकाशित जमींदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था कानून के अन्तर्गत प्रकाशित नियमावली कब तक लागू होगी?

श्री चरण सिंह—जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ (३) और उक्त अधिनियम के अधीन बनी नियमावली के नियम १ (क) (२) के अनुसार उक्त नियमावली ३० जून, १९५२ के असाधारण गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो गई है।

*२—श्री कालीचरण टंडन (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त नियमावली लागू होने तक जिले में नियुक्त अधिकारी किन आदेशों के अन्तर्गत काम करेंगे?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*३—श्री काली चरण टंडन (अनुपस्थित)—उक्त कानून के अनुसार गांव समाज द्वारा गांव सभा का निर्वाचन कब तक होगा और तब तक काम कौन संभालेगा?

श्री चरण सिंह—जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० की धारा ३ (९) में दी हुई परिभाषानुसार गांव सभा का अर्थ पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित गांव सभाओं से है, जो कि पहिले ही से कार्य कर रही है अतएव अब गांव सभाओं के निर्वाचन का प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के उपरान्त सीर और खुदकाश्त के शिकमियों की भूमि पर जमींदारों का कब्जा

*३४—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित) (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद में अधिकांश भूतपूर्व जमींदार सीर और खुदकाश्त के शिकमियों की भूमि पर जबरदस्ती क़ब्जा कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह—सरकार को यह सूचना मिली है कि कुछ जमींदारों ने अपने सीर के काश्तकारों को और कुछ काश्तकारों ने अपने शिकमियों को जबरदस्ती बेदखल करने की कोशिश की है।

*३५—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसे काश्तकारों की रक्षा का कोई प्रबन्ध कर रही है?

श्री चरण सिंह—इस प्रकार के मामले तो न्यायालयों द्वारा ही तय हो सकते हैं। वैसे सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि जहां शांति भंग होने की आशंका हो वहां जाब्ता फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

*३६—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिलाधीशों को कोई ऐसा आदेश देने पर विचार कर रही है, जिस से ऐसे भूतपूर्व जमींदारों पर सरकार की ओर से मुकदमा चलाया जा सके, जो जबरदस्ती सीर अथवा खुदकाश्त के नकदी अथवा बटाई के काश्तकारों पर जबरदस्ती क़ब्जा कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह--ऐसे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज़िलाधीश अपने आप अथवा किसी वादी या प्रार्थी की तहरीक पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री मिजाजीलाल (ज़िला मैनपुरी)--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज

२--श्रीमती आशालता व्यास (ज़िला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज कितनी है और कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया है तथा उसकी खपत किस प्रकार होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--गत ५ वर्ष की औसत के आधार पर संपूर्ण प्रान्त की लगभग २४ लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की फसल बोई जाती है, जिससे लगभग ७५ करोड़ मन गन्ने का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग १७.२५ करोड़ मन अर्थात् २३ प्रतिशत गन्ना मिलों में पेरा जाता है, और लगभग ५५ से ६० प्रतिशत गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है, तथा लगभग १० प्रतिशत गन्ना बीज के प्रयोग में आता है। शेष गन्ना विभिन्न उपयोगों में प्रयोग किया जाता है।

३--श्रीमती आशालता व्यास--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

४-५--श्री गेंदा सिंह--[३१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या ३, ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गांव सभाओं द्वारा भूमि का पर्यालोचन

६--श्री मुरलीधर कुरील (ज़िला कानपुर)--भूमि का रिकार्ड ठीक करने के लिये क्या सरकार गांव सभाओं द्वारा भूमि के सर्वे की बात सोच रही है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। लैन्ड रेविन्यू ऐक्ट, १९०१ का अध्याय ४ जमींदारी विनाश के बाद भी लागू रहेगा और भूमि का रिकार्ड ठीक करने का काम, जहां कहीं आवश्यक होगा, उसी अध्याय के अन्तर्गत किया जायेगा।

तराई उपनिवेश के रुद्रपुर अस्पताल के उद्घाटन पर चिकित्सा सामग्री के क्रय पर व्यय

७--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि १६ फरवरी, सन् १९५२ ई० को तराई उपनिवेश के रुद्रपुर अस्पताल के भारत के प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन के दिन उस अस्पताल में कितना विविध सामान, औजार, दवा आदि अस्पताल के लिये खरीदा गया था ?

श्री चरण सिंह--उक्त अवसर पर रुद्रपुर अस्पताल के लिये क्रय किये हुये विविध सामान, औजार, दवा आदि का मूल्य १०,६०९ रु० ६ आना है। सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२ पर)

८--श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उपर्युक्त रुद्रपुर अस्पताल के उद्घाटन समारोह के लिये नैनीताल के रामजे व क्रास्वेट अस्पताल व भुवाली सैनेटोरियम से कितना सामान, औजार व स्टाफ़ भेजा गया था ?

श्री चरण सिंह—जितना सामान अस्पताल में रखना चाहिये उतना ही दूसरे अस्पतालों से मंगाया गया था क्योंकि रुपये की मंजूरी देर में होने के कारण प्रधान मंत्री के आने के समय पर वह सामान बाजार से खरीदा नहीं जा सका था। अब वह सामान खरीदा जा रहा है। जितना सामान खरीदा जा चुका है उतना वापिस कर दिया गया है। जो स्टाफ बाहर से आया था उतना स्टाफ भी रख लिया गया है।

गोरखपुर में भूख से हजारों लोगों की मृत्यु पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास अभी एक काम रोको प्रस्ताव आया है। श्री गेंदा सिंह जी ने उसे पेश किया है। उसमें यह कहा गया है कि गोरखपुर में कई हजार व्यक्तियों की भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु हो गई है और उसके ऊपर वादविवाद करने के लिये वह समय चाहते हैं और चाहते हैं कि भवन का काम स्थगित करके इस पर विचार किया जाय।

इसके सम्बन्ध में उनके पास तार भी आये हैं तथा ग्राम पंचायत के प्रधान के एक दो सर्टिफिकेट भी पेश किये हैं। इसके ऊपर इजाजत देने के लिये निर्णय देना मैं आज उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि यह जो सबूत पेश किये गये हैं उनको जांच मैं करना चाहता हूं। कल जांच करने के बाद मैं अपनी राय दूंगा।

पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या पर विवादार्थ समय निर्धारण की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—सैटरडे को जब कार्यक्रम बताया जा रहा था तो उस समय मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि एक प्रस्ताव मैंने ३१ मई को दिया था। माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने उस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि जुलाई में इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। शनिवार के दिन जब मैंने जानकारी प्राप्त करना चाही तो डिप्टी लीडर श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम महोदय ने कहा कि सोमवार को ठीक रूप से बतायेंगे। अतः मैं आज जानना चाहता हूं कि उस पर विचार कब होगा। वह प्रस्ताव पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या से संबंधित था। मई में जब पेश किया गया था तो गुप्ता जी ने कहा था कि जुलाई में उस पर विचार किया जायगा जिसके लिये उन्होंने कारण यह दिया था कि इस समय गल्ला वसूल हो रहा है। हो सकता है वादविवाद में ऐसी बातें हों, जिनकी वजह से गल्ला वसूली में ठेस लगे। इसलिये उस समय उस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के लिये नान-आफीशियल डे (असरकारी दिन) को इंक्लूड (सम्मिलित) किया था तब भी मैंने इस बात को रखा था। मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि बजट के बाद विचार होगा।

अध्यक्ष—अन्न मंत्री चूंकि यहां मौजूद हैं इसलिये क्या वे इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो अभी यह बात कही कि मैंने मई के महीने में उनको यह आश्वासन दिया था कि यदि वे पूर्वी जिलों की हालत के ऊपर सदन में विचार करना चाहते हैं तो वे जुलाई

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

या अगस्त में कर सकेंगे। जो बात अभी उन्होंने कही है वह बिल्कुल सत्य नहीं है। जिस समय वे सदन में यह बात कहना चाहते थे उस समय मैंने यह निवेदन किया था कि वह समय इसके लिये उपयुक्त नहीं है और यह भी उनसे कहा था कि उस विषय की बातें बजट के दौरान में भी हो जायेंगी। उस समय मैंने यह लिख कर दिया था कि यदि वे चाहें तो उस विषय के ऊपर जुलाई या अगस्त में विचार किया जा सकता है। जुलाई के महीने में जब मैंने बजट के जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) के समय तथा अपने विभाग का बजट उपस्थित करते हुए मैंने पूर्वी जिलों की स्थिति का भी वर्णन किया था। सरकार ने उस समय और कई दफा अखबारों द्वारा उन जिलों की स्थिति पर प्रकाश डाला था। अभी भी जब श्री शिब्बनलाल जी ने एक बयान अखबारों में निकाला तो सरकार के द्वारा यह बतलाया गया कि जो बातें उसमें कही गई हैं वे सत्य से परे हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि वे बातें बार बार क्यों सदन के सामने लाई जाती हैं। मैं सदन से कई बार बिनती कर चुका हूं और फिर उस विनती को दुहराना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के पूर्वी ज़िलों की खाद्य समस्या कई महीनों और वर्षों से कठिन रही है।

अध्यक्ष---माननीय मंत्री यह बतायें कि उसके ऊपर विचार करने के लिये क्या पहली तारीख से पेश्तर कोई दिन देना चाहते हैं। यदि वे उचित नहीं समझते हैं तो स्पष्ट उत्तर दे दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं समझता हूं इस विषय पर बजट के जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) में, जैसा मैंने कहा, तथा मेरे अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में काफी बातें बहस में आ चुकी हैं। कई भवन के सदस्य जिन्हें इस सम्बन्ध में कहना है अपने विचारों को प्रकाशित कर चुके हैं। इसलिये अब फिर उस बहस में जाना कोई बहुत मुनासिब सी बात नहीं मालूम होती है। अभी हमारे पास अखबार के द्वारा, और एक पत्र के द्वारा जो सरकार के पास श्री शिब्बनलाल जी ने भेजा है जिसमें बहुत से व्यक्तियों के नाम दिये हुए हैं कि इतने व्यक्ति भूख से मरे, समाचार आये हैं, सरकार इतने व्यक्तियों के नाम के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं करवा सकी है क्योंकि मुझे तो खत आज ही मिला है। जब तक सरकार के पास उन तमाम बातों की जानकारी न आ जावे तब तक मैं मुनासिब नहीं समझता कि उन बातों पर यहां विचार किया जाय। हां, जब सरकार जांच करा ले तब १७, १८ तारीख को जब सदन की फिर बैठक होगी उसके बाद यदि भवन चाहता है और माननीय राज नारायण जी चाहते हैं तो अवश्य सरकार एक दिन पूर्वी जिले की हालत पर बहस के लिये देने के लिये सहमति हो जायेगी।

अध्यक्ष---अब मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अधिक बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण---आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति बिल्कुल श्रद्धा का भाव रखते हुए भी आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि माननीय राजनारायण जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य नहीं है, तो इस बात पर मुझे थोड़ा सा दुःख जरूर हुआ क्योंकि मैंने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है। जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया वह पत्र अभी मैं मंगवा कर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने और डिप्टी लीडर सदन ने शनिवार को आश्वासन दिया था कि सोमवार के दिन जब हम लोग मिलेंगे तो उसी दिन इस पर निर्णय हो जायगा कि किस दिन इस पर विवाद किया जाय। सरकार

द्वारा तो यह मानी हुई बात है कि इस पर विचार किया जायगा, केवल समय निर्धारण का सवाल था। अगर इस तरह से डिप्टी लीडर सदन और तमाम मंत्री लोग आश्वासन देने के बाद भी उल्टी उल्टी बात करने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिये अपमान की बात होगी।

अध्यक्ष---इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। परन्तु इसके लिये समय दिया जाय या न दिया जाय इस पर माननीय मंत्री जी ने अपनी राय बतला दी। तो ऐसी हालत में माननीय सदस्य के लिये एक ही रास्ता रहता है कि वे अपना कोई प्रस्ताव लावें और प्राइवेट प्रस्ताव के लिये जो समय रहता है वह बैलेट (शलाका) के द्वारा ठीक हो जायगा। दूसरी बात यह कि इसके थोड़ी सी गलतफहमी भी हो सकती है और जिस दिन के लिये डिप्टी लीडर ने बात कही हो उस दिन आनरेबिल मंत्री जी मौजूद भी न हों? तो ऐसी हालत में उचित होगा कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल बात कर लें या चीफ व्हिप बात करके बतला दें कि इसके लिये कब समय देना ठीक होगा।

श्री राजनारायण---एक सूचना मैं और आपको दे देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि कल शाम को माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने फोन पर सम्बन्ध स्थापित किया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने...

अध्यक्ष---अब मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैंने कहा था कि अब दो ही रास्ते रह गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। ऐसी अवस्था में मैंने यह उचित समझा कि जो पार्टियों का आपस में निर्णय हो उसके बाद कल फिर भवन में यह बात लाई जा सकती है।

श्री राजनारायण---एक दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने आपके द्वारा यह निवेदन करने की बात कही थी कि...

अध्यक्ष---मैं श्री राजनारायण से यह कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम (कार्यक्रम) के विषय में पार्टियां खुद तय कर लिया करें। भवन में इसका वादविवाद नहीं हो सकता कि क्या प्रोग्राम हो। मैंने इस बारे में यह भी जिक्र कर दिया कि काम चलाने के लिये पार्टियों का महत्व हुआ करता है और भवन के बाहर तय कर लेते हैं कि भवन में आगे क्या प्रोग्राम हो। लिहाजा मैं आयन्दा के लिए भी यह सूचना दे देना चाहता हूं कि इस तरह के वाद-विवाद की इजाजत मैं भवन में नहीं दूंगा। इसके लिये पार्टियों के माननीय नेतागण को आपस में बातचीत कर लेनी चाहिये और फिर मेरे पास निश्चित प्रोग्राम आ जाय। उसके अनुसार हम लोग भवन में विचार कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ९ जुलाई, सन् १९५२ ई० को मेज पर रखी गयी १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाय।

[श्री चरण सिंह]

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की दफा ३४४ का खंड ४ इस प्रकार है :—

"(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथा-शीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिनमें वह इस प्रकार रक्खे जायं।"

तो इस दफा के अधीन यह नियमावली ९ जुलाई को सभा के सदस्यों की मेज पर रख दी गयी थी और उसको १४ दिन से अधिक बीत गये। मेरा प्रस्ताव यह है कि जिन संशोधनों या परिष्कारों का प्रस्ताव या नोटिस यहां आ चुका है और हमारी सूची में मौजूद है इस सिलसिले में सदन का ज्यादा समय लेना आवश्यक नहीं है। बहुत सीधा सादा प्रस्ताव है। वैसे यह नियमावली पहली जुलाई से ही लागू है। लेकिन कानून के मुताबिक इस सभा को अधिकार है कि उसमें चाहे जो माडिफिकेशन (रूप भेद), चाहे जो परिष्कार कर सकें। इसके साथ ही जो इसमें परिष्कार या संशोधन हो जायं, उसके बाद भी जैसा कि अधिनियम में दिया हुआ है गवर्नमेंट को अपनी रूल मेकिंग पावर, नियम बनाने वाले अख्तियार के मातहत इन नियमों में आवश्यक परिवर्तन यथा अवसर करने का अधिकार रहेगा। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में ज्यादा बहस या ज्यादा समय लेने की जरूरत इस बात के देखते हुए कि गवर्नमेंट इसके बाद भी रूल मेकिंग पावर (नियम निर्माण शक्ति) के अधीन जरूरी संशोधन कर सकेगी इस समय ज्यादा वक्त खराब करना—मैं खराब करना तो नहीं कह सकता—ज्यादा वक्त लेने की जरूरत नहीं है। जो संशोधन आये हैं उन पर विचार हो जाय। उसके बाद भी किसी भाई को सुझाव देना हो तो उसके बाद भी गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं और फिर भी नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके जरिये यह दरख्वास्त करूंगा कि जिन प्रस्तावों को गवर्नमेंट स्वीकार करे उनका अर्थ यह समझा जाय कि सरकार उनके उसूल को स्वीकार करती है, क्योंकि जिन शब्दों में वे प्रस्ताव दिये गये हैं, वे कहीं कहीं अनुपयुक्त हैं। अगर हमने उन लफ्जों पर बहस की तो ठीक नहीं होगा या प्रस्ताव गिर जायगा या पूरा स्वीकार करना होगा और अन्त में आवश्यकता रह जायगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी यह दरख्वास्त है कि मुझे इजाजत दें।

अध्यक्ष—आखिर में जो आपने कहा है उसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—मैंने यह अर्ज किया कि कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको मैं शायद स्वीकार करूं। तो जब उनको स्वीकार करूंगा तो उसका केवल यह अर्थ समझना चाहिये कि उसके उसूल को स्वीकार करता हूं। उनके शब्दों में हेरफेर की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से यह इजाजत चाहता हूं कि अगर जरूरत हो तो शब्दों में हेरफेर कर दिया जाय, जिसका अधिकार मुझे दे दिया जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि उसको मैं ऐक्सेप्ट (स्वीकार) करता हूं या नहीं करता हूं।

अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह सदन को ही अधिकार है कि कौन सी भाषा हो। रूल्स (नियमों) के अन्दर ऐसे हेरफेर हैं जो शाब्दिक हैं और जो अर्थ स्पष्ट नहीं करते तो उसका इलाज हो सकता है लेकिन यह सदन ऐसा नहीं कर सकता कि वह यह इजाजत दे दे कि मनमानीक उस

भाषा बदल दी जाय और उसूल केवल यहां स्वीकार किया जाय। क्योंकि रूल्स तो किसी शक्ल में हैं और उसकी भाषा भी मौजूद है, तो जो यहां पर संशोधन आयेंगे उसमें भाषा नियमित होनी चाहिये। उसमें तो केवल जो शाब्दिक गड़बड़ी हो जाय उसी का परिवर्तन हो सकता है।

श्री चरण सिंह—मेरा उद्देश्य केवल शाब्दिक हेर-फेर से ही है, इससे अधिक नहीं।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है यह बहुत ही अहम प्रस्ताव है और हमारे सूबे को जितनी खेतिहर जनता है सबसे सम्बन्धित यह प्रस्ताव है। यह सही है कि...

श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फर्रुखाबाद)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। (मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं)। इस मसले के मुताल्लिक तो चेयर (अध्यक्ष) का फैसला हो गया। मैं समझता हूं कि अब इसके ऊपर किसी किस्म की बहस नहीं होगी।

अध्यक्ष—यह बात नहीं है। यह प्रस्ताव है कि नियमों के अमेंडमेंट जो (संशोधन) पेश हैं सदन के सामने उन पर विचार किया जाय। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं यह मालूम करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री ने जो तजवीज पेश की थी उसके ऊपर तो बहस नहीं हो रही है?

अध्यक्ष—उसके ऊपर नहीं हो रही है।

श्री राजनारायण—तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये अपने माननीय मंत्री जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि यद्यपि ९ तारीख को यह प्रस्ताव जिस नियम के संबंध में है, उस नियमावली की प्रति यहां टेबिल पर रख दी गयी थी...

अध्यक्ष—यह प्रस्ताव ९ तारीख को नहीं रखा गया।

श्री राजनारायण—रूल की कापी रखी गयी थी। जैसा कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट (अधिनियम) में दिया गया है कि वह १४ दिन तक सदन में रखी जानी चाहिये। इस इस जमाने में बजट का सेशन (सत्र) चल रहा था और इतनी जल्दी थी उस काम में कि और कामों पर विचार करना असम्भव था। यह प्रस्ताव इतना अहम है कि जो रूल्स बनाये जा रहे हैं जमींदारी उन्मूलन संबंधी वह सारे प्रदेश के किसानों से संबंध रखते हैं। मैं यह प्रार्थना करना चाहता था कि इस प्रस्ताव को यहां रखकर जिन रूल्स पर अभी विचार होगा उनपर अभी विचार न करें बल्कि इन तमाम रूल्स और संशोधनों को, सबको एक प्रवर समिति में रखने की कृपा करें। उसके बाद हम फिर १८ से यहां पर मिल रहे हैं और मंत्री जी ने अभी यह भी कहा कि यद्यपि ये रूल्स लागू हो चुके हैं पहली जुलाई से, तो रूल्स तो लागू हो चुके हैं यह भी नहीं है कि जबतक यह संशोधन पास न हो जायगा तब रूल्स के लागू होने की बात नहीं आयेगी। अभी जो रूल्स लागू हैं उनसे जो कठिनाई और सरलता किसानों को मिलती होगी वह तो है ही।

इसलिये इस बीच में जो समय मिलता है उसमें प्रवर समिति बैठकर विचार विनिमय कर लें, ताकि ऐसा न रहे कि रूल्स में ऐसी बात छूट जाय जो किसानों के लिये बहुत ही अहम

[श्री राजनारायण]

हो। इसलिये मैं थोड़े में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको एक प्रवर समिति में ले जायं और चाहे जवाइंट सेलेक्ट कमेटी (संयुक्त प्रवर समिति) दोनों सदन की मान लें और सब विचार के लोग उसमें आवें और अच्छी तरह से समझ बूझकर ऐसे सुझाव दें ताकि फिर रूल्स में संशोधन लाने की हालत पैदा न हो और किसान परेशान भी नहीं हों।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय माल मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं।

मैं आप की आज्ञा से माननीय माल मंत्री जी के प्रस्ताव में जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१ ई० का अधिनियम सं० १) के अधीन नियमावली के विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसमें नीचे लिखा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (१९५१ ई० का अधिनियम सं० १) के अधीन नियमावली पर विचार संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे, तथा यह भवन यह भी निश्चय करता है कि उपर्युक्त समिति के श्री माननीय माल मंत्री के अतिरिक्त २० अन्य नीचे लिखे हुये सदस्य होंगे, और यह भी यह सदन निश्चय करता है कि उपर्युक्त समिति को यह भी आदेश दिया जावे कि वह अपनी रिपोर्ट १८ अगस्त को भवन में पेश करे।"

श्रीमान्, पहिले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं.....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है, तो इस विषय में शायद माननीय सदस्य को गलतफहमी मालूम होती है। यह कोई बिल नहीं है। यह विधेयक भवन के सामने पेश नहीं है। भवन के सामने इस किस्म का प्रस्ताव है कि जो नियम बनाये गये हैं जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुसार उन नियमों में जो संशोधन आये हैं उनपर विचार किया जाय, लेकिन बिल की तरह उसको समझ करके उसके ऊपर विचार नहीं होगा। इसके ऊपर माननीय सदस्य यह प्रस्ताव अवश्य कर सकते हैं कि कोई इस भवन की समिति बना दी जाय जो कि उसके ऊपर विचार विनिमय करले लेकिन जैसा कि उनके दिल में है कि कोई इस तरह की सेलेक्ट कमेटी हो, मैं समझता हूं कि वह अवैध होगा क्योंकि यह बिल नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् आपने जो अभी कहा, मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं और इसे संशोधन के साथ पेश कर दूंगा, लेकिन श्रीमान् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने रूल्स में देखा और जो श्रीमान् ने कहा वह ठीक है मगर ये रूल्स केवल रूल्स नहीं हैं बल्कि इनका प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिये इनका प्रवर समिति.....

अध्यक्ष—मैं प्रवर समिति शब्द का प्रयोग उचित नहीं समझता।

राजा वीरेन्द्र शाह—अच्छा, मैं उसको वापस लेता हूं और संशोधन के साथ यह पेश करता हूं कि "इस भवन की एक समिति बना दी जाय जो इसके ऊपर विचार करे और उसके निम्नलिखित सदस्य हों।" मैं इसको बाद में संशोधन करके दे दूंगा।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राजनारायण जी ने और माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने प्रस्ताव किये हैं उन दोनों का उद्देश्य एक ही है और वह यह कि आज इस पर विचार न किया जाय, कुछ दिन के लिये विचार उठा रखा जाय और एक कमेटी इस हाउस की ओर से बना दी जाय जो इसपर बहुत तफसील से विचार करे और फिर यह हाउस के सामने आये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक़ केवल १४ दिन का समय देना काफी है लेकिन इसको हाउस की टेबिल पर रखे १९ दिन हो चुके हैं। जहां तक माननीय वीरेन्द्रशाह का संबंध है

उन्होंने ऐसा मालूम होता है, इसपर विचार भी कर लिया है क्योंकि उनकी ओर से बहुत से संशोधन आये हैं। इसलिये समय की कमी या अवकाश की कमी की युक्ति उनके पास है नहीं और वे यह दलील दे नहीं सकते। रहा माननीय राजनारायण जी का यह कहना कि बजट के दिन थे, हमको समय नहीं मिला, तो उसका जवाब यही है कि १४ दिन के बजाय १९ दिन मिले और यह कोई नयी चीज हाउस के सामने आ नहीं रही है। यह नियमावली वैसे मई या जून के महीने में गजट में प्रकाशित हो चुकी थी और सब लोगों को मौका था कि जिनको सुझाव देने हों वे सुझाव दें। इसमें तकरीबन एक महीने का मौका सभी लोगों को मिला और लोगों के सुझाव आये और उस पर गवर्नमेंट ने विचार करके ३० जून को उसको फाइनलाइज (अंतिम रूप) कर दिया। तो एक प्रकार से सब को इस पर विचार करने का मौका मिल चुका है और ३० जून से ले कर आज २८ जुलाई होने को आयी है, तो इस प्रकार जितने इस सदन के माननीय सदस्य हैं या जो और लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन सबको मौका मिल चुका है। इसलिये मैं कोई वजह नहीं देखता कि इसको स्थगित किया जाय।

इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, अगर इस पर विचार करने के बाद भी किसी साहब को कोई और सुझाव देना हो तो उस पर विचार करने के लिये गवर्नमेंट सदैव तैयार रहेगी। इसके अलावा, आज और कल दो दिन का समय इस पर विचार करने के लिये रखा गया है और अगर इस पर विचार नहीं होता है तो सदन का समय बेकार नष्ट होगा। इसके अलावा अगर हम इस पर विचार करते हैं तो यह तो जनहित के हक़ में ही होता है और कम से कम नुकसान तो किसी तरह नहीं होता। विचार करने में आखिर कुछ न कुछ समय तो हमको लगाना ही पड़ेगा तो अभी क्यों न लगा लें और अगर यह मान भी लिया जाय कि इसमें ग़ौर व खोज की आवश्यकता है तो फिर भी मौका है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं उनके इस सुझाव को मानने से मजबूर हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की सारी बातें सुनीं, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इसको यदि कुछ दिनों के लिये आगे विचार करने के लिये टाल दिया जाय तो उसमें अहित क्या होगा? उन्होंने अभी कहा कि पहली जुलाई से यह नियम लागू है और यह भी कहा कि कुछ संशोधन ऐसे आये हैं कि उन संशोधनों पर हम आपस में ही बातचीत कर कुछ शब्दों में हेर फेर कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि वह भी इस बात को महसूस करते हैं कि आपस में बात चीत कर ली जाय और भवन का समय ज्यादा न लिया जाय, यह ज्यादा अच्छा होगा। तो वह दलील मैं उनके सामने पेश करना चाहता हूं कि ज्यादा मुनासिब यही होता कि इस पर कुछ और तरीके से, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आपने अभी सुझाव दिया कि बजाय भवन में इस नियम पर बहस की जाय कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पर हम लोग आपस में बात करके उसकी कठिनाइयों को या उसमें जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाय। हो सकता है कि इसमें कम समय लगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ३४४ धाराओं का तो कानून है और ३३९ या ३४० नियम है। यह जो सूत्र है उसमें और भाष्य में कोई फ़र्क़ नहीं मालूम होता है। और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियम का कहीं-कहीं तो ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जैसा प्रभाव पिछले ज़माने में सन् १९३९ में जो कानून पेश किया था उसमें एक सुझाव दिया गया था कि उसमें जल्दबाजी न कीजिये और रेहन वालों तथा क़ब्जा वालों का ठीक ठीक कानून बनाने की कोशिश की जाय। लेकिन उसमें थोड़ी जल्दी हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने प्रान्त के लाखों किसानों को बेदखल होना पड़ा और उन लाखों किसानों की बेदखली के बाद फिर जब सन् १९४६ में कांग्रेस ताक़त में आयी तो उसमें उसको फिर एक संशोधन करना पड़ा जिसके जरिये उन लाखों किसानों को फिर जमीन वापस दिलाने का कानून बनाना पड़ा। आज फिर उसमें यह गड़बड़ी पैदा हो रही है कि जिन लोगों के लिये तीन वर्ष जोत कर वापस करने का कानून

[श्री गेंदा सिंह]

बना था उनके लिये आज फिर दूसरा कानून हो गया कि जो वापस पाते वे नहीं पा रहे हैं, फिर १७५ का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं ।

वैसे ही मैं एक बात और अर्ज करूं कि २१ मई के बाद के पट्टे रद्द कर दिये जायेंगे। यह कानून कुछ ही दिन हुये इस सदन ने पास किया था। उस समय भी हम लोगों ने माननीय राजस्व मंत्री से यह निवेदन किया था कि इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाय और विचार करने के पश्चात् इस कानून को पास किया जाय। लेकिन राजस्व मंत्री जी ने उस समय यह कहा था कि अगर इसको जल्द न पास किया गया तो इससे नुकसान हो जायगा। हम लोगों ने उनके हुक्म की तामील की और उस कानून को पास किया। परिणाम जो कुछ हुआ वह हमको ही नहीं राजस्व मंत्रीजी को भी मालूम है। हजारों की तादाद में गलत तरीके से लोगों ने नाम लिखा लिये, बहुत बड़ी रिश्वत की रकम को पटवारियों ने हासिल किया है और मैं समझता हूं कि उसको दुरुस्त करने में सरकार को परेशानी होगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम पहली तारीख तक बैठ ही रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को बजाय यहां बैठने के यह इजाजत दी जाय कि कि हम जल्द से जल्द अपने जिलों में पहुंच जायं और अपने लोगों की कुछ मदद कर सकें। ऐसी हालत में १८ तारीख कोई ऐसी लम्बी मियाद नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला हो। मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री विरोधी पार्टी की एक बात तो मान लें। इसमें कोई बात नहीं है, कभी कभी तो ऐसी उदारता हो जानी चाहिये कि कोई बात जिससे नुकसान होने वाला नहीं वह मान ली जाय। यदि राजस्व मंत्री बतला दें कि इससे कोई नुकसान होने वाला है तो हम इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। अगर नहीं हैं तो इस नियम को १८ तारीख को लाने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि १९ दिन पहले इन नियमों की किताब टेबिल पर रख दी गई थी । बजट के समय में बहुत सी किताबें हमारे सामने टेबिल पर रखी गयीं। लेकिन जब तक माननीय मंत्री जी जाब्ते के अन्दर कोई प्रस्ताव न रखें कि इस पर विचार किया जाय तब तक इस बात पर जोर देना कि इस पर विचार किया जाय ठीकनहीं है । उस दिन पेश कर देते तब तो ठीक था । लेकिन अब यह कहना कि काफी वक्त मिल गया है, गलत है । मैं समझता हूं कि आज ही कायदे से हमें इत्तिला मिली है कि हमें इस पर बहस करना है । यह इतिला बिल्कुल अनुचित है और इस थोड़ी सी इत्तिला पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय श्री वीरेंद्र शाह ने जो आपके द्वारा सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इन रूल्स पर विचार थोड़े दिन के लिये स्थगित किया जाय, इसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह तो भवन जानता ही है कि जमींदारी विनाश विधेयक इतनी अहमियत का विधेयक है कि शायद ही ऐसा कोई विधेयक सूबे में लागू किया गया हो। इससे करोड़ों काश्तकार और लाखों जमींदारों पर असर पड़ता है और इन नियमों के द्वारा इस ऐक्ट को चालू किया जायगा । ऐसी परिस्थिति में जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि यदि बाद में कोई ऐसी बात मालूम पड़े जिससे काश्तकार को कोई ऐसी तकलीफ हो या जमींदार को कोई तकलीफ हो तो उनके बाद हमें फिर माननीय मंत्री जी के पास आना पड़े और उनके सामने कोई बात रखनी पड़े उससे तो यही अच्छा होगा कि १०-१२ दिन स्थगित करके सोच-विचार कर इन रूल्स पर बिचार करें। मैं समझता हूं कि इससे काफी दिक्कत कम हो जायगी।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि रूल्स (नियम) लागू हो चुके हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि १०-१२ दिन के लिये स्थगित करने में सरकार को कोई ऐसी तकलीफ महसूस नहीं होगी जिसके द्वारा वह मजबूर हो जाय कि आज ही इस पर विचार शुरू हो जाय।

786 R.A.

श्रीमन्, एक बात और है और वह यह है कि कभी कभी यदि अपोजीशन (विरोधीदल) की तरफ से कोई ऐसी बात, ऐसा प्रस्ताव आपके द्वारा सरकार की सेवा में रखा जाय और जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि सरकार का कोई नुकसान नहीं है तो उसको मान लेना अच्छा ही होता है । जहां तक इन रूल्स का ताल्लुक़ है इस बात को मान लेने से सरकार का भी फायदा होगा और जनता का भी फायदा होगा और नुकसान होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--इन नियमों को प्रकाशित और मुश्तहर हुये काफी समय हो चुका है । जहां तक साम्यवादी पार्टी का संबंध है, उनके तो कोई संशोधन मैंने इस आर्डर पेपर (आदेश पत्र) में नहीं देखे । इससे मालूम होता है कि उनको कोई विशेष आपत्ति इन नियमों में नहीं है । जहां तक यह बात कही गई कि विरोधी पक्ष की बात, यदि कोई हानि नहीं हो तो मान लेनी चाहिये, तो मैं तो इससे भी अधिक जाया करता हूं । अगर हानि भी हो और वह जनहित की न हो तो तब भी मान लेनी चाहिये । उसे प्रतिदिन यथा सम्भव कार्यरूप में लाने का यत्न भी किया जाता है । जहां तक इन नियमों का ताल्लुक़ है मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती कि इनके विचार के लिये कोई समिति बनाई जाय या इसके लिये इन्हें स्थगित किया जाय । परन्तु चूंकि यह अभिलाषा विरोधी पक्ष की है, यद्यपि मैं इसकी आवश्यकता तो नहीं समझता, फिर भी मैं इसे मान लेने को तैयार हूं कि एक उपसमिति बनाई जाय और १८ तारीख तक इसको मुल्तवी भी कर दिया जाय । मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है । मैं समझता हूं कि ५-७ घंटे बैठकर इन नियमों को पूरी तरह से देखा जा सकता है । एक या दो बातों के अलावा और कोई ऐसी बातें इनमें नहीं मालूम होती जो कि ज्यादा विवादग्रस्त हों । नियम लागू तो हो ही चुके हैं । स्थगित करने से इतना जरूर होगा कि सदन की बैठक १७ तारीख के बाद बढ़ जायगी क्योंकि तब और भी काम होगा ।

यह मैं जरूर कहूंगा कि हमारे सदस्यों के लिये यह आवश्यक है कि अपना समय खाद्य-समस्या के हल करने में अधिक लगावें और मैं चाहता हूं कि यह जो बात हमारे सामने है उसके हल करने में कोई कोताही हम लोगों की तरफ से कहीं भी न हो । अगर उसमें सब मिलजुल कर काम करें तो अच्छा है । इसके बारे में बड़े बड़े इश्तहारों के छपवाने से कोई फायदा नहीं है कि फलां जगह से आदमी भूख से इतने मर गये । अखबार छपवाने से पहले हमसे या किसी से भी किसी ने नहीं कहा कि कहीं कोई आदमी मरा है, या गोरखपुर में मर रहा है । अगर कहीं कोई मरता भी है तो इस तरह से छपवाने से कोई लाभ नहीं है । इसका उपाय करना चाहिये । कपोलकल्पित बातों को लेकर इस तरह की बातें करना हानिकारक है । लोगों को खाना न मिलने से इतना नुकसान नहीं होता जितना पैनिकी होने और आत्मविश्वास खोने से होता है । लोग फसल के भरोसे पर दो चार दिन यूं ही काट देते हैं कि अब उनकी फ़सल आने वाली है । यदि हमें कहीं भी किसी आदमी के भूख से मरने की खबर मिली तो उसकी फ़ौरन कार्यवाही और तहकीकात कराई । जो रिपोर्ट हमारे पास आई हैं उनसे लगता है कि जिन लोगों ने ऐसा सोचा उनको भ्रांति थी । परन्तु यह जो आखिरी रिपोर्ट छपी है इसके बारे में शिब्बनलाल जी से कौन हममें से वाकिफ़ नहीं है । उनके आंकड़े एकत्रित करने से भी सब परिचित हैं । बजाय अखबारों में देने के हमें चाहिये कि बीमारी यदि है तो उसका प्रबन्ध करें, क्योंकि अखबारों में देने से बजाय फ़ायदे के हानि ही है । हमें चाहिये कि हम जनता के आत्मविश्वास को भी न हटने दें । यह भी बहुत आवश्यक है । मैं इस बात के लिये भी तैयार हूं कि सदन १८ तारीख तक मुल्तवी कर दिया जाय और फिर १८ तारीख को मिले ताकि इस बीच में आप लोग अपनी अपनी जगहों में जाकर काम करें ।

अध्यक्ष--चूंकि इसके ऊपर वादविवाद ज्यादा न हो इसलिये मैं सदन के सामने स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक तो प्रस्ताव यह था कि इन नियमों के ऊपर जो संशोधन

[अध्यक्ष]

आये हैं उन पर पर विचार किया जाय। इसके पश्चात् माननीय राज नारायणजी ने यह सुधार रखा कि आज उस पर विचार न किया जाय बल्कि १८ तारीख से उस पर विचार किया जाय। संशोधन के रूप मे मैं इसे लेता हूं। दूसरा संशोधन वीरेन्द्र शाह जी का यह था कि प्रवर समिति बनाई जाय जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया लेकिन भवन को कोई विशेष समिति बनाने का अधिकार है उसके अनुसार उनका सुझाव था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर अपने विचार प्रकट किये कि वे दोनों बातों के लिये तैयार हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका तरीक़ा क्या होगा? क्यों कि जमींदारी अधिनियम के अनुसार ये नियम स्टेट लेजिस्लेचर (राज्य विधान मण्डल) के सामने १४ रोज रहे और अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसमे कोई संशोधन करे तो वह मंजूर हो सकते हैं और इस प्रकार जो संशोधित नियम होगें वे लागू होगें। यदि संशोधन नहीं मंजुर हुये तो जो रुल्स हैं वे ही लागू रहेगें। चूंकि अधिनियम में शब्द "स्टेट लैजिस्लेचर" आया है इसलिये इन पर काउन्सिल में भी विचार होना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में यह तरीका उचित समझता हूं अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसे स्वीकार करें कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ही कमेटी बना दी जाय जिसमें कि दोनों सदनों के सदस्य हों तो इससे समय बच सकता है। वर्ना यह होगा कि यहां की कमेटी अलग हुई और कौंसिल की कमेटी भी हुई तो दोनों में अलग अलग विचार होगा और वहां भी संशोधन हो सकते हैं तो शीघ्रता के लिये यह उचित होगा कि कमेटी सदन की तरफ़ से न होकर गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाय जिसमें दोनों तरफ के दोनों भवनों के सदस्य हों। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे बतावें कि वह कौन सा तरीका उचित समझते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे सदन को जो बात भी ग्राह्य हो वह मंजूर है। मैं समझता हूं कि तरीक़ा यही अच्छा और शीघ्रता का होगा कि गवर्नमेंट कमेटी बना दे। वास्तव में नियमों में कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो नियम हैं उनमें यदि कोई सदस्य संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें कोई और बात नहीं थी और न ही इन नियमों को यहां लाना स्वीकृति के लिये आवश्यक था। परन्तु जैसा कि अभी कहा गया है, एक कमेटी सरकार की तरफ से बना दी जायगी जिसमें कि जिन सज्जनों का विशेष सम्बन्ध और जिन्हें खास दिलचस्पी है, जैसे सुरेश प्रकाश सिंह जी, वीरेन्द्रशाह जी, राजनारायण जी और गेंदा सिंह जी आदि हैं ये और दूसरे लोग रख दिये जायंगे। मैंने इनका नाम इसलिये लिया कि जिनका विशेष सम्बन्ध है वे लोग आ जावें। परन्तु एक बात मैं कह देना चाहता हूं वह यह कि जिस शक्ल में ये नियम आयें फिर उसके पश्चात् यहां सदन में समय न लेना चाहिये क्योंकि सदन में बहस होने से कोई फायदा नहीं। निर्णय वही होगा जो हो चुका होगा। लिहाजा ऐसी बात से हमें सदन का समय बचाना चाहिये क्योंकि यह कानून नहीं है, नियम हैं। १८ तारीख को आकर उसी दिन हम इसको पास कर देंगे और जहां तक हो सके समय खराब न जाना चाहिये। इससे सभी का फायदा होगा और समय का सदुपयोग होगा और कमेटी में बातचीत करने का हमें काफी अवसर मिल जायगा। अगर आप सबकी अनुमति हो तो इस तरह से कमेटी बना दी जाय।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से केवल एक बात जानना चाहूंगा कि यह जो कमेटी बनाई जायगी, यह तो मैं भी मानता हूं कि उसमें जब सबकी राय आ जायगी तो यहां सदन में बहुत विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी लेकिन कमेटी १८ तारीख को जब सदन बैठेगा उसके पहले सब काम करेगी और काम को पूरा कर लेगी या उसके बाद भी आगे काम करेगी।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— मैं तो चाहूंगा कि कमेटी आज ही बन जाय और कमेटी के सदस्य कल को बैठ सकें तो बैठें और एक-दो दिन में काम को खत्म कर लें। कोई आवश्यकता नहीं है कि कमेटी बहुत लम्बी बैठे। कमेटी के सदस्य यह चाहें कि कुछ दिन बाद हो तो वह भी हो सकता है। मेरी जाती राय तो यह है कि कमेटी के मेम्बर बैठ कर उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर लें।

राजा वीरेन्द्र शाह — माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है वह स्वीकार है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जहां तक अमेंडमेन्ट का सवाल मैं आश्वासन देता हूं कि जिन बातों में हमारे उसूली इख्तलाफात होंगे उनको तो हमें लाना पड़ेगा लेकिन जिनमें मेरी ऐसी कोई चीज नहीं होगी उनको हम भवन के सामने नहीं लायेंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष—तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय राजनारायण जी ने और श्री वीरेन्द्र शाह जी ने जो संशोधन किये थे उनको वह वापस लेते हैं?

श्री राज नारायण—जी हां।

राजा वीरेन्द्र शाह—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।)

अध्यक्ष— इस प्रकार के रूल्स के संशोधनों पर विचार करने के तरीक़े के सम्बन्ध में कोई सदन के नियम नहीं हैं इसलिये इस सदन और अध्यक्ष की राय जो हो उसके अनुसार हमें निश्चय करना होगा कि किस तरह से इन संशोधनों पर विचार किया जाय। नई समस्या होने के कारण मैं इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। एक तो राजस्व मंत्री जी ने प्रस्ताव रक्खा है उस पर विचार किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है और यह घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से की है कि एक सरकारी कमेटी, बना दी जाय जो संशोधनों पर विचार कर अपना निर्णय दे और उस पर विचार १८ तारीख को हो, इसे मैं संशोधन के रूप में ले लूं और उसके ऊपर सदन की राय लूं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और यहीं यह बात छोड़ दी जाय और आज हम उठें और उसके बाद जिस वक्त १८ अगस्त को बैठें उस वक्त सरकार नियुक्त कमेटी के जो निर्णय संशोधनों पर हों उन पर सदन की राय ले लें। ये दो तरीके हैं। माननीय राजस्व मंत्री जिसे उचित समझें उसके हिसाब से मैं या तो उनके प्रस्ताव पर वोट ले लूंगा या वह प्रस्ताव वापस लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं समझता हूं कि मेरा प्रस्ताव तो रहने दिया जाय यानी मेरा मतलब यह है कि उस पर वोट ले लिया जाय और उसके बाद फिर माननीय मुख्य मंत्री का जो संशोधन है वह तो मुझे स्वीकार है ही यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप उस पर भी वोट ले लीजियेगा।

अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को मैं संशोधन के रूप में लूंगा और फिर मुख्य प्रस्ताव के साथ सदन की स्वीकृति के लिये इसको रखूंगा।

प्रश्न यह है कि इन संशोधनों पर विचार करने के लिये सरकार की तरफ से एक समिति बनाई जाय जो विचार करने के बाद अपना निर्णय इस भवन के सामने १८ अगस्त, सन् १९५२ ई० को पेश करे और फिर यह सदन जो संशोधन सामने हों उन पर विचार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---अब एक तो मुख्य प्रस्ताव है और दूसरे यह संशोधन है। इन दोनों को साथ लेता हूं और संशोधित रूप में इसको रखता हूं।

प्रश्न यह है कि ९ जुलाई, सन् १९५२ ई० को मेज पर रक्खी गई १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिये सरकार की तरफ़ से एक कमेटी बनायी जाय जो अपना फैसला १८ अगस्त, सन् १९५२ ई० को पेश करे और उस पर सदन में विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---अब मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के सामने इस हफ्ते के लिये कोई कार्यवाही नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---और जो कार्यवाही यहां पर आयेगी तो उस पर भी इसी तरह से होगा। इससे तो बेहतर यही है कि सदन को मुल्तवी कर दिया जाय।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ५३ मिनट पर सोमवार १८ अगस्त, १९५२, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२८ जुलाई, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए २८ जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सूची १

दूमत १ के लगान की प्रति एकड़ दरें

रामपुर जिले की तहसील का नाम	दूमत १ दखीलकार लगान (Dumat I occupancy rents)	लगान का आयात (Incidence of rent)	निकटवर्ती जिले की पड़ोसी तहसील का नाम	दूमत १ दखीलकार लगान (Dumat I occupancy rents)	लगान का आयात (Incidence of rents)
१—रामपुर	१४.९	१२.०	मुरादाबाद	९.९	६.९
२—मिलक	१६.२	१०.९	बरेली	७.६	७.३
			बहेड़ी	८.१	६.९
३—सौर	११.०	११.२	मुरादाबाद	९.९	६.९
			काशीपुर	५.६	५.२
४—शहाबाद	९.६	९.०	मुरादाबाद	९.९	६.९
			बिलारी	९.८	९.३
			बिसौली	७.८	७.४
			आंवला	६.७	५.६
५—बिलासपुर	११.७	८.१	बहेड़ी	८.१	६.९
			किछा	३.४	३.१
			बाजपुर		

'क' (१)

सूची २

भिन्न-भिन्न लगान की प्रति एकड़ औसत दरें

रामपुर जिले में प्रति एकड़ औसत लगान			निकटवर्ती जिलों में प्रति एकड़ औसत लगान			
तहसील का नाम	दखीलकारी (Occupancy)	ग़ैर-दखीलकारी (Non-occupancy)	तहसील का नाम	जिले का नाम	दखीलकारी (Occupancy)	मौरूसी (Hereditary)
	रु०	रु०			रु०	रु०
१—रामपुर	१२.०	१०.८	मुरादाबाद	मुरादाबाद	५.२	६.९
२—मिलक	१०.९	९.८	बरेली	बरेली	५.९	७.३
			बहेड़ी	बरेली	५.६	६.९

रामपुर जिले में प्रति एकड़ औसत लगान			निकटवर्ती जिलों में प्रति एकड़ औसत लगान			
तहसील का नाम	दखीलकारी (Occupancy)	गैर-दखीलकारी (Non-occupancy)	तहसील का नाम	जिले का नाम	दखीलकारी (Occupancy)	मौरूसी (Hereditary)
३—सौर	११.२	६.३	मुरादाबाद	मुरादाबाद	५.२	६.९
			काशीपुर	नैनीताल	४.३	५.२
			बाजपुर	नैनीताल	३.२	२.६
४—शाहाबाद	९.०	९.०	मुरादाबाद	मुरादाबाद	५.२	६.९
			बिलारी	मुरादाबाद	५.९	९.३
			बिसौली	बदायूं	४.८	७.४
			आंवला	बरेली	४.४	५.६
५—बिलासपुर	८.१	३.५	बहेड़ी	बरेली	५.६	६.९
			किछा	नैनीताल	२.५	३.१
			बाजपुर	नैनीताल	३.२	२.६

अवध पदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए २८ जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

सूची

वर्ष	लकड़ी की मात्रा जो दी गई (घनफुटों में)
१९४७–४८	२९,५९५.९
१९४८–४९	३३,५९९.७
१९४९–५०	३६,२९३.४
१९५०–५१	२६,४००.६
१९५१–५२	३०,४८०.६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये २८ जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

आजमगढ़ जिले के रहने वाले उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें उपनिवेश विभाग ने नैनीताल की तराई में जमीन दी है

क्र०सं०	नाम और पता	दी गई जमीन का माप एकड़ों में	उपनिवेश जहां जमीन दी गई है
१	श्री बृज बिहारी राय, शर्मा, एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़ ।	५० एकड़	ग्राम प्रीतनगर, नैनीताल तराईमें
२	श्री रामलखन राय, ग्राम तथा डाकखाना अमिला, जिला आजमगढ़ ।	"	" "
३	श्रीलाल बिहारी राय, ग्राम अन्ती-फुलवानपुर, डाकखाना खंवरापुर, जिला आजमगढ़ ।	१५ एकड़	" "
४	श्री झंगरू राय, ग्राम फुलवानपुर, डाकखाना कंधारपुर, जिला आजमगढ़ ।	"	" "
५	श्री मंगरू राय, ग्राम तथा डाकखाना सूरजपुर, जिला आजमगढ़ ।	"	" "
६	श्रीकृष्ण देव राय, ग्राम तथा डाकखाना सूरजपुर, जिला आजमगढ़ ।	"	" "
७	श्रीचन्द्रदेव राय, ग्राम तथा डाकखाना सूरजपुर, जिला आजमगढ़ ।	"	" "
८	श्री रामचन्द्र राय, उपसभापति जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ ।	"	" "
९	श्रीब्रह्मदेव राय, ग्राम तथा डाकखाना अमिला, जिला आजमगढ़।	"	" "
१०	श्री शिवराम राय, उपसभापति, जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ ।	"	" "
११	श्री काशीराम द्वारा श्री शिवरामराय आजमगढ़ ।	"	" "
१२	श्री विन्दवासनी प्रसाद, जेनरल मंत्री, कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ ।	"	" "
१३	श्री मुक्ति नाथ राय, ग्राम पछखोरा, डाकखाना खडंरापुर, जिला आजमगढ़ ।	"	" "

क्र० सं०	नाम और पता	दी गई ज़मीन का माप एकड़ों में	उपनिवेश जहां जमीन दी गई है
१४	श्री मरजाद सिंह, ग्राम देवखरी, जिला आजमगढ़।	१५ एकड़	ग्राम प्रीतनगर नैनीताल तराई में।
१५	श्री मोती चन्द्र सिंह, ग्राम वरदिहा, थाना रवनापुर, जिला आजमगढ़।	,,	,, ,,
१६	श्री अक्षयवर लाल शास्त्री, मुहल्ला, कुरमीटोला, आजमगढ़।	३०	ग्राम राघव नगर ,,
१७	श्री वीरेन्द्र वर्मा शास्त्री, ग्राम तथा डाकखाना अजमतगढ़, जिला आजमगढ़।	३० एकड़	ग्राम आनन्दपुर जिला नैनीताल।
१८	श्री लल्लन प्रसाद, ग्राम तथा डाकखाना अजमतगढ़, जिला आजमगढ़।	१५ एकड़	ग्राम राधोनगर, जिला नैनीताल।
१९	श्री गंगाराम, ग्राम सूरजपुर, आजमगढ़	१० एकड़	अभी तक तराई में जमीन नहीं दी गई।
२०	श्री कृष्णलाल, मन्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़।	,,	
२१	श्री श्रीराम पाठक, चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी सरायमन, आजमगढ़।	,,	
२२	श्री त्रिवेनी राय, कांग्रेस आफिस आजमगढ़।	,,	
२३	श्री राम सुन्दर यादव, आजमगढ़, पिता का नाम श्री राम शरन यादव, ग्राम शसना, अनलेरी, जिला आजमगढ़।	,,	
२४	श्री देवराज यादव, एकाउटेंट, जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़।	,,	
२५	श्री राधा रमन दास अग्रवाल, मऊनाथ भजंन आजमगढ़।	,,	

नत्थी 'घ'

(देखिये २८ जुलाई, १९५२ के अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ट २४ पर)

रुद्रपुर चिकित्सालय के उद्घाटनार्थ उधार ली गई वस्तुओं की सूची

फर्नीचर

१	बैंच	६
२	आराम कुर्सी	६
३	ड्रेसिगं टेबुल स्टूल के साथ	१
४	बेडसाईड टेबुल	१
५	लकड़ी के बने पर्दे	५

मेडिको सर्जिकल इक्विपमेंट्स

१	क्लोरोफार्म टेबुल	१
२	हाथ धोने के बर्तन तथा तामचीनी की साबुनदानी	२
३	अल्ट्रावायलैट लैम्प, स्टैंड और बैटरी के साथ	१
४	बेबी बाथ टब	१
५	लोशन वावल	१
६	किडनी ट्रेज	२२
७	तामचीनी की पेशाबदानी	२
८	अलमुनियम की पेशाबदानी	२
९	तामचीनी की रैक्टैंगुलर ट्रे	२३
१०	बेबी बाथ ट्रे	१
११	तामचीनी के छोटे वावल	२
१२	शीशे के जार एसार्टेड साईज	९
१३	रोटक्स स्टैंड	१
१४	सलाइन स्टैन्ड	१
१५	सलाइन स्टैन्ड रबड़ के सूली के साथ	१
१६	तामचीनी की ढक्कन दार बालटियां	३
१७	आक्सीजन सलेन्डर	१
१८	स्टाक सिडयर बोतल	५
१९	एडीलेस लैम्प	१
२०	इलेक्ट्रिक स्ट्रेलाईजर	१
२१	हाइप्रेशर स्ट्रेलाईजर	१

विधान सभा उत्तर प्रदेश

२२	ट्राली स्ट्रेचर	१
२३	एक्सरे टेबुल	१
२४	आयन्टमेंट जार	३
२५	ड्रेसिन्डा ड्रम्स	६
२६	स्टैन्ड ड्रमों के लिये	३
२७	टेस्टट्यूब रे टेस्ट्यूब सहित	१
२८	बेबी वेइगं मशीन	१
२९	माउथ गैग	१
३०	टंग फार्सेप्स	१
३१	क्लोरोफार्म मास्क	१
३२	क्लीज़ पेंड	१
३३	तौलिये के क्लिप	४
३४	आवर्डस वेजाइनल स्पेकुलम	१
३५	रबर कैथेटर	१
३६	मेटल केथेटर	१
३७	सिम्से वेजाईनल पेम स्कुल	१
३८	रिट्रेक्टर	१
३९	फलशिन्डा क्यूरेट	१
४०	पेरीनियल नीडिल	१
४१	डूश नाज़ल	१
४२	सिम्स परफोरेटर	१
४३	ऐम्ब्रस्ट्रामी सीजर्स	१
४४	क्रआनटामी फार्सेप्स	१
४५	हुक्स	२
४६	चीटिल्स फार्सेप्स	४
४७	लोहे के परदे	२
४८	आपरेशन टेबुल	१
४९	सीरीज़ १० सी० सी०	१
	५ सी० सी०	१
	२ सी० सी०	१
५०	उलफस् बोतल	१
५१	एनस्थीसिया ऐपरेटस	१
५२	रबर मैट्रेस	१
५३	एक्सरे इल्यूमिनेटर	१
५४	स्पेचुला	२
५५	पिल्सटाईल	१
५६	फीडिंग कप्स	६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५७	शीशे के मढ़े हुये टेबुल	१
५८	आई चार्ट	१
५९	स्टैण्ड के साथ थूकदानी	१८
६०	सक्सन एपरेटस	१
६१	ग्लास कैबिनेट	१
६२	छोटी आलमारी	१
६३	इन्सट्रूमेंट ट्राली	१
६४	मेकिन टोश	१ रोल
६५	गर्मपानी के बोतल	१२
६६	वेसिन स्टैण्ड	२०
६७	तामचीनी के बेसिन	२०
६८	वाश हैण्ड बेसिन स्टैण्ड तथा बेसिन-बाल्टी इत्यादि ५ वस्तुयें	१
६९	डायथमार्स एपरेटस	१
७०	पोर्टेबुल एक्सरे मशीन	१
७१	वेइंग मशीन	१
७२	रेफ्रीजिरेटर	१
७३	डिस्पेंसिंग स्केल	१
७४	बल्ड प्रेशर इन्सटुमेंट	१
७५	वर्क फील्ड किलेटर	१
७६	लेबर टेबुल	१
७७	डाइग्नोस्टिक सैट	१

पलंग इत्यादि

१	धाउलर्स बैण्ड	१
२	फ्रबलाइन बैंड	१
३	क्रेडिल्स	५
४	बेडसाईड लाकर्स	१८

लिनेंस मेट्रेस तथा कंबल इत्यादि

१	चादर	१३
२	ड्रामीट्स	५
३	लाल कम्बल	१५
४	गद्दे	२०
५	तकिये	२५
६	तकिये के गिलाफ	३०
७	काउन्टर पैन	१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियां

८	डाक्टर्स गाउन	३
९	सर्जन ऐप्रन्स	२
१०	स्पान्जेज	२०
११	हैंड मास्क	७
१२	एम० टी० कडण्डर	१३
१३	मेज पोश	६
१४	नीला पर्दा	१
१५	नहाने की तौलिया	१

अन्य वस्तुयें

१	बड़े पीतल के गमले	३
२	दीवाल की घड़ी	१
३	टेबुल बुक्स	३
४	हाइपो	१ टिन
५	डबलग्र	१ टिन
६	एक्सरे फिल्म	१ पैकेट
७	कबर ढक्कन	१
८	प्रेशर टिन	१
९	नापने का फीता	१
१०	फोटो	४
११	ताड़ के गमले	६
१२	फूल के गमलों के लिये स्टैंड	२

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६८ एल० ए०—१९५२—८५०

विधान सभा सचिवालय